न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 4 / 2020
निर्णय दिनांकः— 08.04.2021

उनवान

सोसर देवी पुत्री गोयल पत्नी किशनलाल जाति गुर्जर निवासी रामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

—प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) — प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री हरिराज सिंह वकील प्रार्थीया
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थीया संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 103, 114, 115, 116, 124, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 403, 408, 413, 513, 54, 54/542, 80, 81, 82, 83 कुल किता 23 कुल रकबा 7.62 है0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम सोसर देवी पुत्री गोपाल है जो राशनकार्ड आधार फोटो पहचान पत्र, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थीया का नाम सोसर देवी अंकित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया नाम सहवन से सोसर देवी पुत्री गोपाल के स्थान पर धन्नी पुत्री गोपाल अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम सोसर देवी पुत्री गोपाल है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम सोसर देवी पुत्री गोपाल के स्थान पर धन्नी पुत्री गोपाल दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीया उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विकय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थीया की अधियाचना है कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 103, 114, 115, 116, 124, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 403, 408, 413, 513, 54, 54/542, 80, 81, 82, 83 कुल किता 23 कुल रकबा 7.62 है0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थीया का नाम **धन्नी पुत्री गोपाल के स्थान पर सोसर देवी पुत्री गोपाल** अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

s.136.127

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम उनियारा आराजी ख0न0 103, 114, 115, 116, 124, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 403, 408, 413, 513, 54, 54/542, 80, 81, 82, 83 कुल किता 23 कुल रकबा 7.62 है0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक धन्नी पुत्री गोपाल दर्ज है। प्रार्थीया के व्यक्तिगण दस्तावेज, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड बैंक डायरी, पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का नाम सोसर देवी पत्नी किशनलाल है। ग्रामवासियों कसे पूछताछ मे पाया गया कि धन्नी एवं सोसर देवी एक ही महिला है

प्रार्थीया के वकील ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में श्योजीलाल पुत्र गोपाल निवासी रामपुरा, अर्जुन लाल पुत्र गोपाल निवासी रामपुरा धाकडान, सोसर देवी पत्नी किशनलाल के शपथ पत्र पेश किया ।

प्रार्थीया की वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी ख0न0 103, 114, 115, 116, 124, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 403, 408, 413, 513, 54, 54/542, 80, 81, 82, 83 कुल किता 23 कुल रकबा 7.62 है0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक धन्नी पुत्री गोपाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब बताया कि ग्रामवासियों कसे पूछताछ मे पाया गया कि धन्नी एवं सोसर देवीएक ही महिला है एवं प्रार्थीया के व्यक्तिगण दस्तावेज, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड बैंक डायरी, पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का नाम सोसर देवी पत्नी किशनलाल है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि **वह आराजी ख0न0** 103, 114, 115, 116, 124, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 403, 408, 413, 513, 54, 54/542, 80, 81, 82, 83 कुल किता 23 कुल रकबा 7.62 है0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील उनियारा **जिला टोंक में धन्नी पुत्री गोपाल के स्थान पर सोसर देवी पुत्री गोपाल दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वितिय या अन्य किसी संस्था व व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को प्रार्थीया स्वयं सूचित करेगी।**

यह निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

s.136.128